राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

बाल संरक्षण विषय पर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

जिला-टोंक

17 फरवरी 2017

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से बाल संरक्षण विषय पर टोंक जिले के पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम एक दिवसीय प्रशिक्षण 17 फरवरी 2017 को टोंक पुलिस लाईन सभागार में आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरम्भ में यदुराज शर्मा, परामर्शद्, आर.पी.ए., जयपुर ने इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को बच्चों से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी देना, उनके प्रति संवेदनशील बनाना बच्चों से सम्बन्धित कार्यवाहियों विधि सम्मत तरीकों से करते हुए बच्चों के सर्वोतम हित में कार्य करने के लिए तैयार करना है।

प्रथम सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री विश्वास शर्मा परामर्शद्, आर.पी.ए., जयपुर ने कहा कि ऐसे बच्चों के पुनर्वास एवं संरक्षण में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका बेहतर पुनर्वास के लिए संवेदनशीलता एवं कार्यवाहियों में तत्परता की जरूरत महत्वपूर्ण है। उन्होने किसी भी व्यक्ति के जीवन में गरिमा एंव विकास की बुनियाद उसके बचपन से आरम्भ होने एवं बाल अधिकारों का सुनिश्चित किये बिना मानव अधिकारों की कल्पना भी नहीं की जा सकने की बात कही। यदुराज शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा पारित बालकों के अधिकारों से संबंधित अधिघोषणा एवं भारत सरकार द्वारा सहमत उतरजीवित, सुरक्षा, विकास एवं सहभागिता के अधिकारों पर अपनी बात रखी। उन्होने कहा कि बाल संरक्षण के लिए बच्चों के लिए ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें बच्चे अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं एवं विचार व्यक्त कर सके। साथ ही बच्चों के सर्वोतम हित में सुधारात्मक एवं पुनर्वास का दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।

श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक ने सत्र को सम्बोधित करते हुए बाल एवं महिला डेस्क के कार्य एवं संचालन में सुधार एवं गतिशीलता लाने के लिए कार्य बिन्दु एवं डेस्क अधिकारी की भूमिकाओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होने कहा कि पीड़िता बच्चों एवं महिलाओं की कार्यवाही प्रक्रियाओं के साथ ही मानसिक परामर्श एवं पुनर्वास करने में अधिक व्यावहारिक भूमिकाएं है। उन्होने कहा कि लैगिंक अपराधों से बालकों की सुरक्षा कानून 2012 में महिला डेस्क की महत्वपूर्ण भूमिकाएं है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं सरंक्षण अधिनियम, 2015 पर चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि कानून बच्चों के लिए कल्याणकारी एवं पुनर्वास पर आधारित बच्चों को सुरक्षा देने वाला है। जिसमें बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस एकक एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी महत्वपूर्ण एकक है।

श्री पंकज तिवारी परामर्शद् यूनिसेफ ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बाल श्रम (प्रतिबन्ध एवं नियमन) अधिनियम 1986 इसमें पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं पर विस्तृत विवेचना की। उन्होने बाल श्रम कानून एवं इसकी कार्यवाही प्रक्रियाओं एवं मानकों को बारे में चर्चा करते हुए बताया कि बाल श्रम (प्रतिबन्ध एवं नियमन) अधिनियम 1986 एक ऐसा अधिनियम है जो विशेष तरह के कारोबार व धंधों में बच्चों की संलिप्तता पर प्रतिबन्ध लगाता है। यह अधिनियम बच्चों के कार्यस्थल पर बेहतर परिस्थितियों का नियमन भी करता है। इस अधिनियम से बाल मजदूरों की काम करने स्थितियों को सुधारने का प्रयास किया गया है। अधिनिमय के लागू होने के बावजूद भी बाल मजदूरी की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चे शोषण का शिकार होकर शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, खेलने एवं आराम करने की सुविधा आदि से अभी भी वंचित है इसलिए समुदाय में अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।

प्रशिक्षण का आयोजन कार्यक्रम की नोडल अधिकारी श्रीमती अनुकृति उज्जेनियां अति. पुलिस अधीक्षक, आर.पी.ए., जयपुर के निर्देशन में आयोजित किया गया जिसमें धीरज वर्मा, यदुराज शर्मा एवं विश्वास शर्मा ने समन्वयन के लिए कार्य किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में टोंक जिले के 30 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।